भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AB 860590

बलल दस्तावेज 328500/- रुपये
स्टाम्प पर [illegible] है ।
[illegible] 2856 वर्ष 2013

पढ़ा..................
सुना..................

1

RUPEES 25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये पच्चीस हजार रुपये RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699836

नं0-2856
2013

किस्म दस्तावेज :– विक्रय विलेख

स्टाम्प :– 3,28,500/–रू0

भूमि मूल्यांकन पेज नं0 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं0 1049 जो भाग 2 (ख) (I) पर स्थित है सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000/–रू0 प्रतिहेक्टेयर से भूमि की मालियत 20,77,000/–रू0 व भूमिधरी में कच्चा कुँआ बना है जिसकी मालियत 23,000/–रू0 है इस प्रकार कुल. मालियत 21,00,000/–रू0 है विक्रय मूल्य 32,83,200/–रू0 है इसलिए स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा....................

सुना....................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000
पच्चीस हजार रुपये

उप कोषागार
2 MAR 2008
झाँसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699837

(2)

1. भूमि का प्रकार :– कृषि भूमि
2. ग्राम :– ग्राम सोलार परगना व तहसील झाँसी
3. सम्पत्ति का विवरण :– कुल विक्रयशुदा रकवा 2.595 है0
4. मापन की इकाई :– हैक्टेयर
5. सडक की स्थिति :– झाँसी ललितपुर मार्ग से डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूर है आबादी से 600 मीटर से अधिक दूर है किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है
6. प्रतिफल की राशि :– 32,83,200/–रू0 में से 17,57,200/–रू0 नगद व 15,26,000/–रू0 जरिये चैक नं0 117368 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक झाँसी के विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।
7 :– प्रथम पक्ष की संख्या :– एक
8. द्वितीय पक्ष की संख्या :– एक

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................
सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
699838

(3)

9. नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):– श्री काशीराम तनय श्री भगुवा निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉसी

10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :– मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झॉसी

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा....................

सुना....................

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699839

सन्त कुमार रावत
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
29/3/2008

(4)

यह विक्रय आज दिनांक 29.03.2008 ई0 को श्री काशीराम तनय श्री भगुवा निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699840

(5)

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :– आराजी मौजा ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉंसी जिसका विवरण निम्न प्रकार है

| खाता सं0 | आराजी नम्बर | रकवा |
|---|---|---|
| 46 | 2026 | 0.081 है0 |
| | 2027 | 0.567 है0 |
| | 2044 | 3.226 है0 |
| | 2046 | 0.652 है0 |
| | 2047 | 0.121 है0 |
| | 2049 | 0.178 है0 |
| | 2050 | 1.263 है0 |
| | 2051 | 1.040 है0 |
| | 2052 | 0.040 है0 |
| | 2053 | 1.473 है0 |

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

Book No. 1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699841

(6)

| | |
|---|---|
| 2057 | 1.279 हे0 |
| 2058 | 3.056 हे0 |

कुल 12 किता रकबा 12.976 हे0 में से 1/5 भाग यानि 2.595 हे0 अपना सम्पूर्ण वय किया है भूमिधरी में जो कच्चा कुँआ है उसका भी 1/5 भाग वय किया गया है मालियत 23,000/–रू0 है भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है उक्त भूमिधरी में पेड़ नहीं है एवं कृषि भूमि है। कुल लगान 42.75/–रू0 वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

51

भारतीय गैर न्यायिक
RUPEES 25000 रुपये
INDIA NON JUDICIAL
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699842

(7)

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विघ्न,प्रतिबन्ध,भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेतागण को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..........
सुना..........

53

RUPEES 25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL RUPEES 25000 रुपये पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699843

(8)

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता,क्रेतागण को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा घन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार ,जो विक्रेंता को प्राप्त थे, वे क्रेतागण को प्राप्त हो गये है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा....................

सुना....................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699844

(9)

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतागण को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।

3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए ,सम्पत्ति क्रेतागण को सौप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेतागण अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगे।

4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार , उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699845



5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिल्कीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेतागण को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पडता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनो सम्पत्तियों के द्वारा क्रेतागण वसूल करने के उत्तरदायी होगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नही होगा।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..........

सुना..........

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699846

(11)

6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यो का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699847

(12)

7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते है, तब विक्रेतागण उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेतागण उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नही होगा।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
15000रु. 15000रु.
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 Rs.15000
भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 080758

(13)

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झाँसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

65

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 854500

(14)

10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेतागण, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होगे।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 854501

(15)

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेतागण एवं क्रेतागण शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेतागण तथा क्रेतागण ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि,

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(16)

उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणो एवं धराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

(17)

उक्त फर्म ने दिनांक 27.07.2007 ई0 को बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की मीटिंग

में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा.....................
सुना.....................

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES



हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा व श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत है लिहाजा बदरूस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH 776133

दिनांक :- 29.03.2008 ई० इकबाल अहमद वसीकानवीस

Rajesh Bansal

प्रारूपकर्ता :-

Rajesh Bansal

गवाह 1. सुभाष पुत्र श्री काशीराम

ग्राम व पोस्ट खेकड़ा मेरठ

गवाह 2. बाबूलाल पुत्र श्री काशीराम

ग्राम व पोस्ट खेकड़ा मेरठ

पढ़ा....................

सुना....................

# नक्शा–नजरी

ेता का नाम श्री काशीराम
का नाम श्री राजेश बंसल
रवेक्षार
सील, परगना व जिला झाँसी
नम्बर २०२६, २०२७, २०५६, २०५८

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि ( लाल रंग ) से प्रदर्शित है।

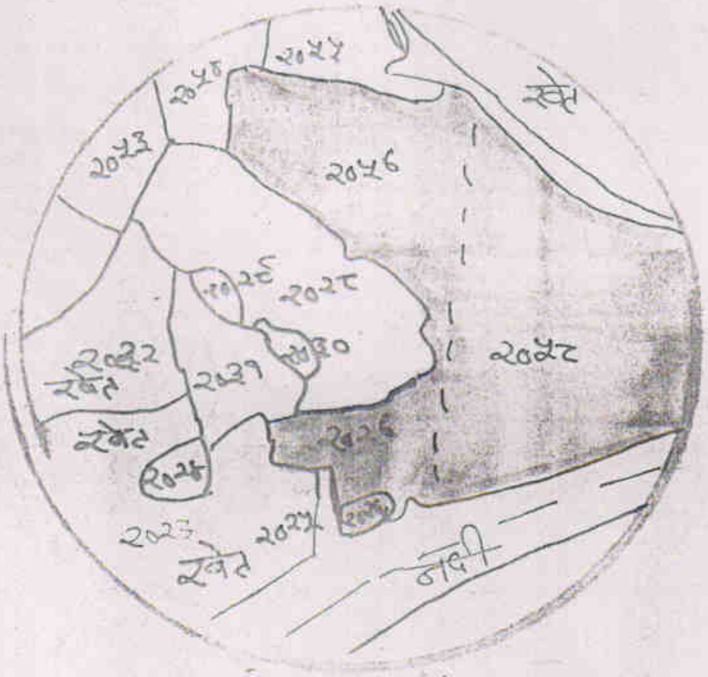


Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

र विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD. KAMRAN KHAN
D/MAN (CIVIL)
J. D. A., JHANSI
OFF. - 19, ALIGOLE,
JHANSI
Date

पढ़ा....................
सुना....................

# नक्शा–नजरी

ता का नाम श्री कांशीराम
का नाम श्री राजेशबंसल
रवेल्लार
ील, परगना व जिला झाँसी
नम्बर २०४६, २०५०, २०५१, २०५३

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि ( लाल रंग ) से प्रदर्शित है।

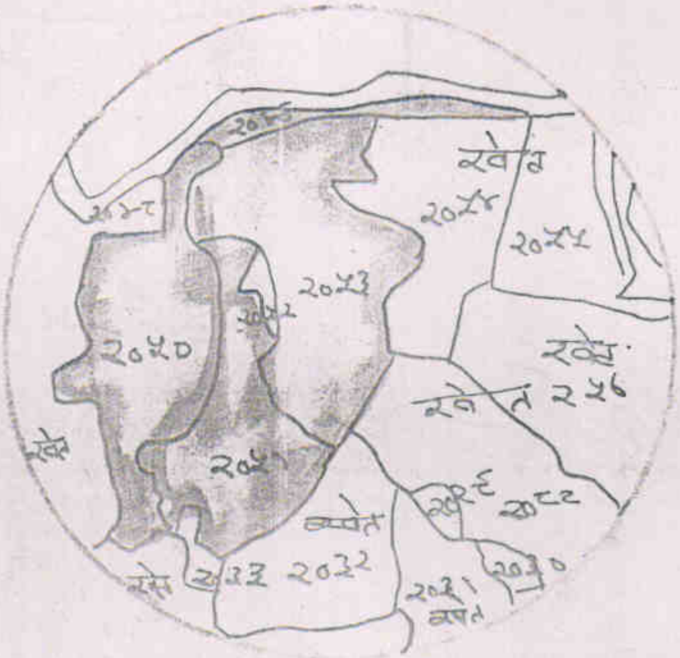


Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD. KAMRAN KHAN
(CIVIL)
JHANSI
ALIGOLE,
JHANSI
Date

पढ़ा....................
सुना....................

# नक्शा-नजरी

...ता का नाम श्री काशीराम

...का नाम श्री राजेश बंसल

...ग्राम खैलार

...सील, परगना व जिला झाँसी

...नम्बर २०४४, २०४५, २०४६

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

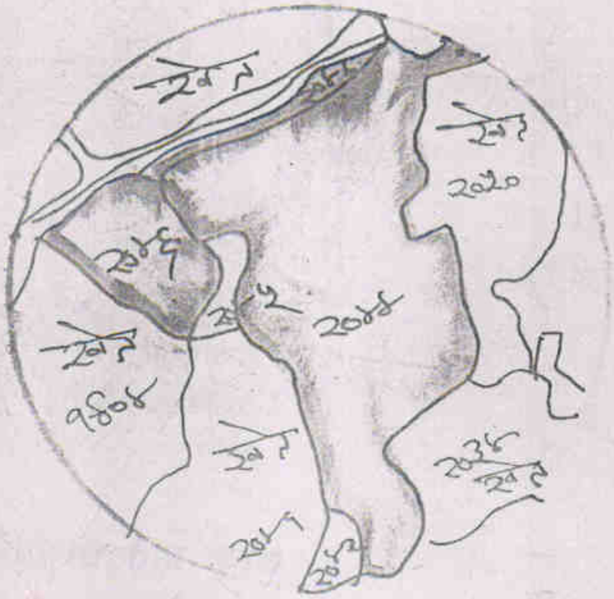


Rajeil Bansal

MOHD. KAMRAN KHAN
(CIVIL)
JHANSI
L. No. ...... Date ......

Rajeil Bansal

...क्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

पढ़ा..................

सुना..................